

वैदिक कालीन नारी की स्थिति (वेदों में नारी का गौरव)

डॉ. दीपा गुप्ता
असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन भारतीय
इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग
कन्या गुरुकुल परिसर
हरिद्वार
गु.का.वि.वि. हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

भूमिका:—किसी भी देश अथवा समाज की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उस समाज अथवा देश में स्त्रियों की दशा कैसी है? इसी दृष्टि से भारतीय समाज में स्त्रियों को प्रारम्भ से ही गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।¹ इसी प्रकार वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वह सभी दृष्टियों से पुरुषों के समान थी पुरुषों की भाँति उनका भी उपनयन संस्कार होता था और वे ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश कर उच्चतम आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त करती थी। इस काल में हमें अनेक ऐसी विदुषी स्त्रियों के उल्लेख मिलते हैं जिन्होंने ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं का प्रणयन किया था। इनमें लोपामुद्रा, विश्वधारा, अपाला, काक्षीवती घोषा, सिकता, निवावरी, रोमशा तथा उर्वशी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।² शिक्षा ज्ञान और विदता के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि याज्ञिक कार्यों में भी वे अग्रणी थीं। उपनिषदों में भी अनेक विदुषी स्त्रियों के उल्लेख मिलते हैं। जो दर्शन, तत्त्वज्ञान और तर्क में निपुण थीं। बृहदारण्यक उपनिषद में विदेहराज जनक की राजसभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच शास्त्रार्थ का उल्लेख मिलता है। जिसमें गार्गी ने याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान् महापुरुष को भी अपने गूढ़ प्रश्नों से मूक कर दिया था।³ इसी प्रकार याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी भी अत्यन्त विदुषी और ब्रह्मवादिनी महिला थी।⁴

वैदिक कालीन नारी की स्थिति— वेदों में नारी को बहुत आदरणीय स्थान दिया गया है। वैदिक युग में स्त्रियों भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करती थी। याज्ञिक कर्मकाण्डों में पुरुषों को सहयोग प्रदान करती थी और समाज में उनका महत्वपूर्ण एंव एक समुचित स्थान था। बालकों की भाँति बालिकाओं का भी यज्ञोपवीत संस्कार होता था, और वे भी ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवन व्यतीत करती हुई शिक्षा प्राप्त किया करती थी।⁵ अर्थवेद के एक मंत्रानुसार—ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के पश्चात ही कन्या युवा पति को प्राप्त करती है।⁶ आश्वलायन श्रौतसूत्र में लिखा है कि बालक और बालिका—दोनों के लिए ब्रह्मचर्य समान है। इस प्रकार से वैदिक काल में कन्याओं का उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार होता था। और वे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहती हुई विधाध्ययन किया करती थी। स्त्रियों के शिक्षित होने का यही परिणाम था कि यज्ञ सदृश धार्मिक कृत्यों में पत्नी अपने पति का हाथ बंटाती थी और उसके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता था।⁷ ऋग्वेद में 'जायेदस्तम' शब्द का प्रयोग मिलता है जिसका अर्थ है कि— स्त्री को ही घर कहा गया है।⁸ विवाह के पश्चात उसकी पतिगृह में गृहपत्नी, गृहस्वामिनी का अधिकार प्राप्त होता है।⁹ एक और उसे पति, सास ससुर आदि की सेवा करने तथा उनकी देख-रेख का उत्तरदायित्व दिया जाता था। जो दूसरी और उसे गृहस्वामिनी के रूप में सास, ससुर, ननद आदि की समाजिक और धार्मिक समारोहों एवं उत्सवों तथा सभा और विचार गोष्ठियों में बिना किसी प्रतिबन्ध के सम्मिलित होती थी और विचारों का आदान-प्रदान करती थी ऐसे समारोहों तथा उत्सवों में उनका सम्मिलित होना स्वागतयोग्य माना जाता था।¹⁰

लेकिन समाजी से तात्पर्य कठोरता और आदेश से नहीं था अपितु वह स्नेह, सेवा, न्याय और उदार चित से परिवार परशासन करती थी। वह पुरुषों की सहधर्मिणी तथा अर्धागणी मानी जाती थी। धार्मिक कार्यों में उसकी उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी।¹² इस काल में न केवल पत्नी को पति के साथ धार्मिक कृत्यों में भाग लेने का अधिकार था अपितु वह पति के बिना भी स्वयं धार्मिक कृत्य कर सकती थी।¹³ समाज में विधवा विवाह तथा नियोग प्रथा बालविवाह तथा परदाप्रथा जैसी कुरुतियों का समाज में प्रचलन नहीं था। वास्तव में इस काल में समाज में स्त्रियों का जितना अधिक मान सम्मान और उच्च स्थान था उतना परवर्ती किसी काल में नहीं रहा।¹⁴ वैदिक युगीन स्त्रियों सुशिक्षित, ज्ञान सम्पन्न, तेजस्वनी और पति से अनुकूल व्यवहार प्राप्त करने की आशा करने वाली होती थी। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में भी अनेक विदुषी स्त्रियों का उल्लेख विद्यमान है।¹⁵ वेदों में इंद्राणी को आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इंद्राणी का कथन है कि— मैं समाज में मूर्धन्य हूँ, मैं अग्रगम्य हूँ, और मैं प्रखर वक्ता हूँ मुझे कोई अबला न समझें मैं सबला हूँ और वीर पुत्रों की जननी हूँ।¹⁶ ऐतरेय ब्राह्मण में कुमारी गन्धर्वगृहीता का उल्लेख है जिसे वहां परम विदुषी तथा वक्तत्व देने में प्रवीण कहा गया है।¹⁷ 'रामायण' के अनुसार सीता प्रतिदिन वैदिक सूक्तों द्वारा प्रार्थना किया करती थी और राम की माता कौशल्या रेशमी कपड़े पहन कर अग्निहोत्र के अनुष्ठान में तत्पर रहती थी। जिसमें कि वह स्वयं मन्त्रों का पाठ किया करती थी।¹⁸ महाभारत में लिखा है कि पाण्डवों की माता कुन्ती 'अर्थर्ववेद' में निपुर्ण थी। स्त्रियां अध्यापन का कार्य भी किया करती थी उत्तर वैदिक काल में दो प्रकार की स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। —1 सधोद्वाहा, 2 ब्रह्मवार्दन, जो स्त्रियां ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्णतः पालन करने के पश्चात् गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थी उनको सधोद्वाहा कहा जाता था एवं जो स्त्रियां आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थी उनको ब्रह्मवादिन कहा जाता था।¹⁹ शैक्षिक कार्यों के अतिरिक्त वैदिक युग में स्त्रियों को सैनिक कार्यों की भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऋग्वेद में एक विपला नारी का उल्लेख मिलता है जो युद्ध करते—करते घायल हो गई थी।²⁰ इस काल में लड़कियों का विवाह 16 या 17 वर्ष में होता था। विधवा एंव अतजातीय विवाह भी होता था। बहुपतित्व विवाह एंव रक्त संबंध में विवाह के कुछ चिन्ह मिलते हैं। उदाहरण के लिए यमी ने अपने भाई यम से विवाह का अनुरोध किया परन्तु यम ने उसे अस्वीकार कर दिया था। मरुतों ने रोदसी को मिलकर भोगा।²¹ उसी तरह अश्विन के दो भाई सूर्य की पुत्री सूर्या के साथ रहते थे। किन्तु इस विषय में हम कह सकते हैं कि यह आदिम अवस्था के अवशेष थे। लेकिन ऋग्वेद काल में बहुपतित्व की प्रथा नहीं थी। सम्भवतः उच्च कुल में संपन्न लोग एक से अधिक पत्नियों रखते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि पुरुषों में बहुविवाह की प्रथा थी।²² पूर्व काल में समान उत्तर वैदिक काल में भी स्त्रियों को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था किन्तु हम परवर्तीकालीन हीन स्थिति का आरम्भ उत्तर वैदिक काल में होता हुआ देखते हैं इसके लिए निन्दनीय शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा था। शतपथ ब्राह्मण में उसे असत्यभाषी और अन्रत कहा गया है।²³ ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्रियों को दुख का कारण माना गया है। मैत्रायिणी सहिता में स्त्रियों की तुलना मदिरा एंव पाशा से की गई है। यज्ञ एंव अनुष्ठानादि के अवसर पर सोम पान से वचित किये जाने का उल्लेख भी आया है। क्योंकि यह तथ्य समाज में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट का प्रतीक माना जा सकता है। अर्थर्ववेद में पुत्री के जन्म पर खिन्नता का उल्लेख हुआ है। उत्तर वैदिक युग में भी स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। कन्याओं को शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद ही विवाह के योग्य माना जाता था।²⁴ अर्थर्ववेद में वर्णन है कि स्त्री पति के साथ सामूहिक यज्ञों एंव युद्धों में भाग लेती थी।²⁵

स्त्रियों का सम्पति पर अधिकार :— वैदिक युग में स्त्रियों को सम्पति में अधिकार प्राप्त था या नहीं, यह तथ्य वैदिक संहिताओं से अधिक स्पष्ट नहीं होता। पर ऋग्वेद के एक मन्त्र में यह संकेत अवश्य विद्यमान है, कि संतान न होने पर पति के पश्चात् पत्नी को ही सम्पति की स्वामिनी माना जाता था। ऋग्वेद के एक अन्य मन्त्र में उन विधवाओं को जिनके पुत्र होते उनको पति की सम्पति में हिस्सा दिये जाने का उल्लेख विद्यमान है।²⁶ ऋग्वेद के

एक मन्त्र के अनुसार पुत्र के होने पर उसकी बहिन पैतृक सम्पति में कोई भाग प्राप्त नहीं करती थी।²⁷ वैदिक काल में यह सत्य रूप से कहा जा सकता है कि पिता की सम्पति का अधिकारी पुत्र ही होता था परन्तु पुत्र न होने पर पुत्री ही उसकी उत्तराधिकारिणी होती थी। पर यदि माता-पिता की सन्तान केवल कन्याये ही हो तो, वे ही पैतृक सम्पति की अधिकारिणी मानी जाती थी। विवाह हो जाने पर भी कन्या धन प्राप्त करने के लिए पितृकुल में आया करती थी।²⁸ शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पत्नी पति के दाय की उत्तराधिकारिणी होती है। दम्पति शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि पति-पत्नी दोनों परिवार की सम्पति के संयुक्त स्वामी होते थे। लेकिन कालान्तर के याज्ञिक कर्मकाण्डों में पवित्रता का विचार बहुत अधिक बढ़ने से स्त्रियों को पहले तो याज्ञिक कार्यों से बहिष्कृत कर दिया गया और फिर साम्पत्तिक अधिकारों से।²⁹ परवर्ती शास्त्रकारों में सर्वप्रथम बौद्धायन से स्त्री को दायाधिकार से वंचित किया। उनके अनुसार पत्नी का पति की सम्पति पर कोई अधिकार नहीं होता क्योंकि वह अबला है और सम्पति की रक्षा नहीं कर सकती।³⁰ मनु के अनुसार पति के जीवन काल में पत्नी को किसी भी प्रकार की सम्पति का अधिकार नहीं है। उसे पति से केवल भरण-पोषण प्राप्त करने का ही अधिकार है जो कि उसके पतिता एंव दूषित होने अथवा नैतिक पतन की अवस्था में भी मान्य है।³¹ इस प्रकार वैदिक काल में स्त्रियों के सम्पति पर अधिकार के विषय में यही कहा जा सकता है कि वैदिक युग में स्त्रियों का साम्पत्तिक अधिकार एक सीमा तक विद्यमान था भी और नहीं भी।

वैदिक युगीन एंव उत्तर वैदिक नारी की स्थिति में अन्तर— वैदिक काल की नारी एंव उत्तर वैदिक काल की नारी की स्थिति में अन्तर का प्रश्न आता है कि यही कहना पड़ता है कि पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति में काफी अन्तर आ गया था, और नारी की स्थिति उत्तर वैदिक काल में वह नहीं रही थी जो वैदिक युग में विद्यमान थी।³² इस समय आकर धीरे-2 नारी की स्थिति में गिरावट आ गई थी और वह शोचनीय हो गई थी। स्त्रियों को इस समय अनेक अधिकारों से वचिंत कर दिया गया था जो उन्हें पूर्व वैदिक काल में प्राप्त थे। **उदाहरणार्थ—** इस युग में वैदिक कर्मकाण्ड की जटिलता बढ़ने के कारण यक्षित कार्यों में शुद्धता और पवित्रता के नाम पर आडम्बर बढ़ता गया और नारियों को उनसे वचिंत कर दिया गया। वे वेदों का शुद्ध पाठ भी नहीं कर सकती थी। जिसके कारण नारी को समाज से वचिंत कर दिया गया। और उन पर बंधन और अवरोध लगा दिये गये। वास्तव में उनकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सभी स्थितियों पर प्रतिबंध लगा दिये गये।³³ जयशंकर मिश्र के अनुसार इस काल में नारी का परम्परागत आदर और सम्मान बराबर बना रहा तथा उसके प्रति समाज की धारणा पूर्ववत् उन्नत बनी रही।³⁴

निष्कर्ष— ऊपर लिखित विवरण से पता चलता है कि वैदिक युगीन सभ्यता में नारी की स्थिति बहुत अच्छी थी। क्योंकि इस समय नारी को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। इस काल में संतानोत्पत्ति को आध्यात्मिक, धार्मिक एंव आर्थिक दृष्टि से आवश्यक माना जाता था। वैदिक काल में पुत्र की भाँति पुत्री का भी उपनंयन किया जाता था।

और अध्ययन काल में उन्हे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। लडकियों को विवाह के समय पिता की सम्पति में से कुछ भाग मिलता था। आजीवन कुंवारी लडकियां पिता के घर रहती थीं जहां पर उनका भरण—पोषण होता था।

इस काल के समारोह एंव धार्मिक उत्सवों के समय स्त्रियां वस्त्र, आभूषण एंव शृंगार से सुसज्जित होकर पुरुषों के साथ भाग लेती थीं। तथा उनके नैतिक जीवन का स्तर काफी ऊँचा था। वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक युग में स्त्रियों की दशा में काफी गिरावट आ गई थी। इस युग में कन्या का जन्म दुःख का विषय माना जाता था तथा पुत्र मनोकामना का लक्ष्य माना जाता था स्त्री एंव पुरुषों की समानता की भावना क्रमशः समाप्त हो रही थी। वे परिषदों एंव सभाओं में प्रवेश नहीं कर सकती थीं। गार्गी मैत्रयी आदि स्त्रियों के उदाहरण इस युग में भी मिलते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में नारी की स्थिति बहुत अच्छी थी। जिसके कारण नारी को समाज के अन्दर अच्छा समझा जाता था। ये वैदिक काल की ही देन हैं।

सन्दर्भ सूची

1. गुप्ता, देवेन्द्र कुमार, **प्राचीन भारतीय समाज एंव अर्थव्यवस्था** प्रकाशन, न्यू भारतीय बुक कॉर्पोरेशन, दिल्ली 2004 पृ० 315
2. वही, पृ० 316
3. **बृहदारण्यक उपनिषद्**, 3 / 6 / 8
4. वही, 3 / 4 / 3, 4 / 5 / 1
5. गुप्ता, दीपा, **वैदिक युगीन सामाजिक, आर्थिक एंव धार्मिक जीवन** प्रकाशन, सत्यम् पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली संस्करण, 2011 पृ० 555
6. **अथर्ववेद**, 11 / 5 / 18
7. **तैतिरीय ब्राह्मण**, 2 / 2 / 2 / 6
8. **ऋग्वेद** – 3 / 53 / 4
9. **गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासः ऋग्वेद-** 10 / 85 / 25
10. **ऋग्वेद-** 10 / 85 / 46
11. गुप्ता, देवेन्द्र कुमार, **उपयुक्त** पृ० 316
12. **शतपथ ब्राह्मण**, 5 / 1 / 6 / 20
13. **ऋग्वेद**, 4 / 24 / 8 / 4 / 42 / 1, 8 / 11 / 1
14. गुप्ता, देवेन्द्र, **उपयुक्त** पृ० 317
15. गुप्ता, दीपा, **उपयुक्त** पृ० 57
16. **ऋग्वेद**, 10 / 159 / 2 **अथर्ववेद**, 20 / 126 / 9

17. ऐतरेय ब्राह्मण, 5 / 4
18. गुप्ता, दीपा, उपयुक्त पृ० 58
19. वही पृ० 58
- 20.ऋग्वेद, 1 / 116 / 15
21. सेंगर, शैलेन्द्र, प्राचीन भारत का इतिहासप्रकाशन एटंलाटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रब्यूटर्स, नई दिल्ली संस्करण 2005 पृ० 76
22. वही पृ० 77
23. वही पृ० 101
24. वही पृ० 101
25. अथर्ववेद, 20 / 126 / 10
26. ऋग्वेद, 10 / 102 / 11
27. वही 3 / 31 / 2
28. वही 1 / 124 / 7
29. शतपथ ब्राह्मण, 14 / 7 / 1-2, 14 / 5 / 4 / 1
30. बौद्धायन धर्मसूत्र, 2 / 2 / 53
31. मनुस्मृति, 11 / 76, 177, 188
32. गुप्ता, दीपा, उपयुक्त पृ० 60
33. वही पृ० 60
34. मिश्र, जयशंकर, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास पृ०-340